न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 60 / 2016

वादीगण :–

1. सुगनादेवी पत्नी गणपतलाल जाति बावरी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हणुताराम पुत्र उदाराम
2. पतासी देवी पत्नी नारायणराम
3. तुलछीराम पुत्र नारायणराम
4. चान्दमल पुत्र नारायणराम
5. चतुर्भुज पुत्र नारायणराम
6. मनीराम पुत्र नारायणराम
7. लिछमा देवी पुत्री नारायणराम जाति समस्त बावरी निवासियान ग्राम चितावा
8. उप पंजीयक कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन बाबत अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉकः– 17/1/17

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । वकील वादी ने अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 25.10.2016 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./19 दिनॉक 09.01.2017 का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री फर्द मौका दिनॉक 14.12.2016 के अनुसार ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 678 रकबा 2.04 हैक्टर मे से 0.5663 हैक्टरपर नजरी नक्शा अनुसार वादीया सुगनादेवी पत्नी गणपतलाल जाति बावरी निवासी चितावा तथा शेष रकबा 1.4737 हैक्टर मे अन्य खातेदार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त मौका फर्द पर सम्बन्धित पक्षकारान के हस्ताक्षकर है तथा आई.एल. आर. तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है । अतः उक्त अनुसार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाना उचित होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री आदेश जारी किया जाता है।

आदेश

ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 678 रकबा 2.04 हैक्टर मे से 0.5663 हैक्टर भूमि मे प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 14.12.2016 एवं नजरी नक्शा अनुसार उत्तरी तरफ की भूमि को वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। फर्द मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 17/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)